	CLEARANCE	Image: Ward of Sector Secto
PARIVESH	tive and Responsive Facilitation by Interactive, lirtuous Environmental Single-Window Hub)	Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity under the provision of EIA Notification 2006-regarding Sir/Madam, This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC) in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number SIA/MP/MIN/227670/2021 dated 17 Oct 2021. The particulars of the environmental clearance granted to the project are as below. 1. EC Identification No. EC22B001MP144394 2. File No. 8749/2021 3. Project Type New 4. Category B2 5. Project/Activity including Schedule No. I(a) Mining of minerals 6. Name of Project Badoda Stone Quarry 7. Name of Company/Organization ASHISH JAAT 8. Location of Project Madhya Pradesh 9. TOR Date N/A
	Pro-Active	Date: 01/03/2022(e-signed) Shriman Shukla Member Secretary SEIAA - (Madhya Pradesh)Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
	AP OB	

संदर्भः प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/227670/2021 - प्रकरण क्र. 8749/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष जाट आत्मज श्री महेश जाट, निवासी —ग्राम राडेप, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर (म.प्र.)—476337 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2090 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर खसरा नम्बर 4194/1, ग्राम बड़ोदा, तहसील बड़ोदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय—समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनॅलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN//226670/2021 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 28.10.2021) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

- II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला श्योपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 7728 दिनांक 31.08.2021 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 25°29'05.05" से 25°29'10.78' और देशांतर 76°42'26.07" से 76°42'26.55" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।
- III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 705वीं बैठक दिनांक 15.02.2022 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 526वी बैठक दिनांक 11.11.2022 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्ते अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष जाट आत्मज श्री महेश जाट, निवासी —ग्राम राडेप, तहसील बड़ौदा, जिला श्योपुर (म.प्र.)—476337 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2090 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर खसरा नम्बर 4194/1, ग्राम बड़ोदा, तहसील बड़ोदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो और तदुपरांत मानक शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तेः

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर के आदेश क्र. 1886 दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु खनिज पट्टा स्वीकृत किया गया है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2029 तक मान्य रहेगी।
- 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- 3. वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC की अनुशंसा अनुसार अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 2400 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये। SEAC समिति द्वारा अनुशंसित स्थलों पर ही पौध रोपण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।
- 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :--
 - ग्राम बाउढ़ी चपा के आंगनबाड़ी भवन के रंग रोगन व मरम्मत का कार्य किया जाये एवं 25 कुर्सी, खिलौन, झूले प्रदान किये जायें।
 - ग्राम बाउढ़ी चपा में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

- 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonatoत) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
- 6. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ग. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।
- 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
- 9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पश्ओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए

पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

- 10. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 11. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
- 13. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
- 15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
- 16. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 17. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
- 18. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
- 19. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
- 20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
- 21. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
- 22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
- 23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजुरी निरस्त की जायेगी।

24. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वींकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

- 25. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
- 26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रू. 9.81 लाख एवं पूंजी रू. 1.13 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
- 27. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारत डेंजर जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
- 28. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अंक्षाश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर फेन्सिंग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शया जाये।
- 29. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकरों के साथ आवेरहेड स्प्रिंकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमे पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।
- 30. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यू.सी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फूगिटिव (Fugitative) उत्सर्जन को रोका जासके।
- 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।
- 32. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायो को स्थापित करें।
- 33. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेंकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।
- 34. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बेंच कॉन्फ़िंगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।
- 35. ठोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।
- 36. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी. एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।
- 37. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत / सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।
- 38. श्रमिकों का छहः मासिक स्वाख्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिको को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिको / कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरूष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय / विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।

- 39. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मेटीगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
- 40. कंपन से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लास्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लास्टिंग केवल प्रमाणित ब्लास्टर के माध्यम से की जाये और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारन न किया जाये।
- 41. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैंण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।
- 42. सभी गारलैंण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुये पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।
- 43. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 44. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरूद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरूद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।
- 45. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।
- 46. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे है एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तो पालन सुनिश्चित किया जाये।
- 47. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वींकृति लेना अनिवार्य होगा।
- 48. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- 49. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आंवटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्वायमेंटल रिस्पॉस्बिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाईट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैंण्ड ड्रेन, सेटलिंक टेंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाईट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाईट के नियमित रख –रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।
- 50. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल–11011/47/2011–आईए–॥ (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।

- 51. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमे फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेंगा जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018–आई.ए, III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
- 52. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z–11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।
- 53. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो आंथराईजेशन प्राप्त करेगा।
- 55. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
 - खदान के मालिक का नाम संपर्क विवरण ।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)।
 - परियोजना की उत्पादन क्षमता ।
- 56. ई.एम.पी के अतंर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन में संघन वक्षारोपण संबंधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जायें।
- 57. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की गई वृक्षारोपण योजना अनुसार खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में प्रस्तावित पूर्ण वृक्षारोपण किया जाये एंव फेन्सिंग के किनारों पर स्थानीय प्रजाति जैसे नीम, अरंडी बबूल, चिरूल आदि के बीज बोये जायें एवं वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी किया जाये।
- 58. पट्टा क्षेत्र मे वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ. बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत / मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये।
- 59. संबंधिात ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
- 60. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस—पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर

वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल / आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।

61. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़–पौधों की सिचांई हेतू पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

2. बी–1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी–2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाऐ।

(ब) मानक शर्ते

- 1. परियोजना प्रस्तावक के ई—मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
- 2. निगरानी में आसानी के लिए उत्खनन पट्टा क्षेत्र का जी.पी.एस समन्वय ई.सी में परिलक्षित होगा।
- 3. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक यदि आवश्यक हो केवल दिन के समय में ही की जाएगी।
- 4. उत्खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द हो जाएगी ।
- 5. वायु प्रदूषण से ग्रस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों (उच्च स्तर के कण पदार्थ जैसे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट और सभी ट्रांसफर पॉइंट) में प्रभावी सुरक्षा उपाय, जैसे कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ।
- 6. जहां खदान पहाड़ी इलाके में है और जहां पहाड़ी का कुछ हिस्सा पहले से ही उत्खनन के लिए काटा गया है, वहां आगे पहाड़ी की कटाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, मौजूदा परिचालन क्षेत्र को गहरा करना अधिमानतः किया जा सकता है।
- र. सभी विचाराधीन प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन / राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायेगा।
- 8. लीजधारक को परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में पानी (सतही जल और भूजल) की निकासी के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 9. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए
- 10. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये एवं जिन सड़कों माध्यम से गौण खनिजों का परिवहन किया जाये उनका नियमित रूप से रख रखाव/ अनुरक्षण किया जाये ।
- 11. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जाये।
- 12. गाद को जलाशयों में ले जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर खाई / नालियों का निर्माण किया जाये।
- 13. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।
- 14. ऊपरी मिट्टी / ठोस कचरे को उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ठीक से ढेर किया जाये और खनन क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए बैकफिलिंग (जहां लागू हो) के लिए उपयोग किया जाए।
- 15. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये। वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाये।
- 16. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढका जाये ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
- 17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

- 18. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाए एवं उन्हें सुरक्षा और स्वारथ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
- 19. स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सूविधा उपलब्ध कराई जाये।
- 20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो को भी प्रदान की जाये।
- 21. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
- 22. तथ्यात्मक डेटा को छुपाना या झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करना और ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- 23. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील यदि आवश्यक हो, तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे की जा सकती है।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव

(आलोक नायक) प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः—

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
- 3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल 462016।
- 4. कलेक्टर, जिला श्योपुर (म.प्र.)
- 5. वन मंडलाधिकारी, जिला श्योपुर (म.प्र.)
- आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
- निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
- 8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 9. खनिज अधिकारी, जिला श्योपुर (म.प्र.)
- 10. संबंधित फाईल।

EC Identification No. - EC22B001MP144394 File No. - 8749/2021 Date of Issue EC - 01/03/2022 Page 9 of 9